मध्यप्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय भोपाल

क्रमांक / [illegible] 1-45/2010/20-1 भोपाल, दिनांक 26-12-2011

प्रति,

1. समस्त कलेक्टर,
2. समस्त आयुक्त, नगर निगम,
3. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत,
4. समस्त मुख्य नगरपालिका अधिकारी नगर पालिका/नगर पंचायत,
5. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी
6. समस्त सहायक आयुक्त आदिवासी विकास
7. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत,
   मध्यप्रदेश.

विषय :– अध्यापक संवर्ग के लिए प्रतिनियुक्ति की शर्तों के संबंध में।

—0—

स्थानीय निकाय यथा पंचायत/नगरीय निकाय अंतर्गत कार्यरत् अध्यापक संवर्ग के लिए पूर्व में जारी प्रतिनियुक्ति संबंधी समस्त आदेशों को अधिक्रमित करते हुए इस आदेश के जारी होने के दिनांक से मध्यप्रदेश पंचायत अध्यापक संवर्ग (नियोजन एवं सेवा की शर्तें) नियम, 2008 तथा मध्यप्रदेश नगरीय निकाय अध्यापक संवर्ग (नियोजन एवं सेवा की शर्तें) नियम, 2008 के नियम–8 उपनियम (ड.) में दिये गये प्रावधान के अनुसार राज्य सरकार अध्यापक संवर्ग के प्रतिनियुक्ति के लिए निम्नलिखित अनुसार शर्तें निर्धारित करती है :–

1. स्थानीय निकाय अंतर्गत कार्यरत् अध्यापक संवर्ग के लिए जिलास्तरीय एवं ब्लाक स्तरीय उत्कृष्ट विद्यालय, मॉडल स्कूल, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के पदों, राज्य शिक्षा केन्द्र अंतर्गत पदों के लिए तथा शिक्षा विभाग अंतर्गत अन्य पदों के लिए अध्यापक संवर्ग की सेवाएं प्रतिनियुक्ति पर शिक्षा विभाग की आवश्यकतानुसार ली जा सकेगी। शिक्षा विभाग के अतिरिक्त अन्य विभागों या निकायों में प्रतिनियुक्ति पर प्रतिबंध रहेगा।
2. प्रतिनियुक्ति पर उन्हीं अध्यापकों को लिया जायेगा जो संबंधित पद के लिए निर्धारित योग्यता एवं अनुभव को धारण करेंगे।
3. यह प्रतिनियुक्ति प्रारंभ में 2 वर्ष के लिए होगी जिसे कार्य व्यवहार की गुणवत्ता के संपादन के आधार पर आगामी 2 वर्ष के लिए प्रतिनियुक्ति पर लेने वाले अधिकारी द्वारा बढ़ाया जा सकता है। उक्त कालावधि के पूर्ण होने के उपरांत प्रतिनियुक्ति किसी भी स्थिति में आगे नहीं बढ़ायी जायेगी।
4. प्रतिनियुक्ति की अवधि कंडिका 3 में उल्लेखित अनुसार अथवा पदोन्नति/स्थानांतरण होने तक प्रभावशील मानी जायेगी।

निरन्तर

पृष्ठा. क्रमांक / एफ 1-45 / 2010/ 20-1 भोपाल, दिनांक 26-12-11

प्रतिलिपिः–

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, मंत्रालय भोपाल
3. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, आदिम जाति कल्याण विभाग, मंत्रालय भोपाल
4. आयुक्त, लोक शिक्षण,संचालनालय म.प्र. भोपाल।
5. आयुक्त, राज्य शिक्षा केन्द्र, अरेरा हिल्स, भोपाल।
6. आयुक्त, जनसंपर्क विभाग, भोपाल।
7. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश।

अवर सचिव
म.प्र शासन
स्कूल शिक्षा विभाग